speed Post

495447

319667029
444

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Pen-og Seal Authority No:- 38   Dated 9.12.17

To, ccountant General (A&E)
The principal Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh & Telangana,
Saifabad, Hyderabad - 500004

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (ले.एवं ह.)
Office of the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
19 DEC 2017

of Dearness relief of State Government Pensioners,

Govt. Resolution No.

(1) Regarding revision of Pension/F.P of Bihar Pensioners due to implementation of 7th Pay Commission with reckoners

forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar.

solution No. .... Dated .... for your needful action

requested to circulate this order to all Treasuries/Sub Treasuries and

anks in your Jurisdiction for necessary action.

acknowledge the receipt of the same with enclosure

(1) पत्र संख्या - वि० (27) पें० को० - (पुन०) - 22/2017 - 801/वि०
दिनांक - 14.11.2017

of Bihar Govt.
tion No.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Date

a-IX-Spl.-Bihar

forwarded for information and necessary action to:

Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna

Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan,

Gardanibagh, Patna-800015.

Officer, A.E. V. Pension

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

PH - TS OG

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
04-DEC-17
495447

बिहार सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषय :- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01.01.2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-381, दिनांक-23.05.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों का औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण किया गया है ।अब राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात उसके आलोक में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा रहा है ।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत दिनांक 01.01.2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निम्न निदेश निर्गत किया जाता है:-

(i) दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत/मृत कर्मी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक-31.03.2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा । वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा ।

(ii) <u>पेंशन की राशि-</u> पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा । पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी ।

(iii) <u>परिवार पेंशन-</u> परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी । परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी ।

(iv) <u>न्यूनतम पेंशन</u>- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू0 9,000 (नौ हजार) (अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) प्रतिमाह होगी ।

....2

(v) <u>मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान-</u> दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर रू0 20.00 (बीस) लाख की अधिसीमा में मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान का लाभ देय होगा ।

3. <u>अतिरिक्त पेंशन-</u> 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप में जारी रहेगी:-

<u>पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र</u>	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

4. **चिकित्सा भत्ता-** पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी ।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819/820, दिनांक-23/09/2009 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

6. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी0पी0ओ0 के दोनों आर्द्धाशों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ।

7. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद् कार्यालय के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों/सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

पत्र संख्या- वि0(27)पे0नि0 (पु0)-22/2017- 801 /वि0,

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u> ।

पटना दिनांक 14.11.2017

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

लेखा पदाधिकारी,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार ।

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग- आपका पत्रांक पेंशन-01-1725, दिनांक 02.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगाधीन पत्र में दो बिन्दुओं पर वित्त विभागीय मंतव्य की अपेक्षा की गयी है । इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

2. कंडिका-(i) में दिनांक-01.01.2016 से 31.03.2017 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है । यहाँ उल्लेखनीय है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754, दिनांक-20.10.2017 की कंडिका-2(i) में स्पष्ट है कि 01.01.2016 के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मियों का वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में सर्वप्रथम वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा एवं तत्पश्चात पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण किया जायेगा । स्पष्ट है कि वेतन पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षित वेतन के आलोक में पेंशन स्वीकृति का कार्य प्रशासी विभाग/ नियंत्री प्राधिकार के स्तर से संपन्न होगा एवं उसके आलोक में महालेखाकार, बिहार पुनरीक्षित पी0पी0ओ0/प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे ।

3. कंडिका-(ii) में दिनांक-01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है । इस संबंध में स्पष्ट किया जाना है कि दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों का पेंशन पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प संख्या 755, दिनांक 20.10.2017 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा किया जायेगा एवं पी0पी0ओ0 को अद्यतन कर उसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को प्रेषित की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

(शिव शंकर मिश्र),
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0-(पुन0)22/2017 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0-(पुन0)22/2017 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0-(पुन0)22/2017 754 पटना, दिनांकः 20-10-17

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।
(M)
20.10.17